

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/IIA के ग्रुप डी-IIA में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी-IIA) पे-मेट्रिस में लेवल-16 में वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक(मुख्य एवं रिज्यू) की कार्यवाही में की गई अनुशंखाओं के आधार पर कार्मिकों का चयन किये जाने पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा-माध्य/ संस्था-एबी/बी-III/डीपीसी/प्रधानाचार्य/2019-20 (नियमित) दिनांक:- 24.05.2019 द्वारा चयन किया गया। चयनित कार्मिकों में रिक्तियों के आधार पर शेष रहे कार्मिकों के पदस्थापन जरिये काउंसलिंग में उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर दिनांक:-25.10.2019 को जारी किये जाकर निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त पदस्थापित कार्मिकों में श्रीमती मंजु कुमारी, व्याख्याता (वरिष्ठता) क्रमांक:-2113/10-11 जन्मतिथि 07.11.1978) राउमावि, सरना(SARANA), अजमेर का पदस्थापन पदोन्नति पर प्रधानाचार्य के पद पर GOVT.SR.SEC.SCHOOL, KHIRODI, CHITALWAN, JALOR में किया गया था। श्रीमती मंजु कुमारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 05.02.2020 तक कार्यग्रहण अभिवृद्धि प्रदान की गई थी। लेकिन निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं किया गया। अतः इनका पदोन्नति परित्याग आदेश एतद् द्वारा जारी किया जाता है।




(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/डीपीसी-2019-20/पदस्थापन/2019
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

दिनांक:-16.03.2020

01. शासन सचिव-शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)/कार्मिक(क-5)विभाग, राजस्थान, जयपुर।
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
05. संबंधित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा।
06. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
07. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक।
08. संबंधित मुख्य ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
09. संबंधित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि उक्त पदोन्नति परित्याग का इन्द्राज कार्मिक की सेवा पुस्तिका के साथ-2, शाला दर्पण में भी आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है वे उपर्युक्त पदोन्नति परित्याग का इन्द्राज शाला दर्पण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से जरिये संस्था प्रधान करेंगे।
11. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी-3।
12. निजी एवं रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक (कार्मिक),
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर